

मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

पंजीकरण दिनांक: निर्णय दिनांक: अवधि:
25/07/15 31/07/20 5 वर्ष, 0 माह, 6 दिन

पीठासीन:- चंद्रोदय कुमार, H.J.S.

एम.ए.सी.पी. संख्या-292 वर्ष 2015

1-नजीम बेग पुत्र श्री इश्तियाक बेग, आयु-44 वर्ष (पिता मृतक)

2-श्रीमती सायरा पत्नी नजीम बेग, आयु-32 वर्ष (माँ मृतक),

समस्त निवासीगण पुराना मकान नम्बर-64 नया मकान नम्बर-91 मेवातीपुरा,
तहसील व जिला-झाँसी

-----याचीगण

प्रति

1-राजेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री कैलाश नारायण गुप्ता, निवासी-C500 आनन्द नगर,

बहीदपुर, ग्वालियर

.....मालिक ट्रक नम्बर-MP 33H 0668

2-दर्शन सिंह यादव पुत्र श्री कोमल सिंह निवासी-वार्ड नम्बर-2, दबोह, जिला-भिण्ड

(म०प्र०)

.....चालक ट्रक नम्बर-MP 33H 0668

3-प्रबन्धक, नेशनल इश्योरेंस कम्पनी, इलाइट चौराहा, सिविल लाइन्स, झाँसी

.....बीमाकर्ता ट्रक नम्बर-MP 33H 0668

4-रामकुमार पुत्र श्री सुदर्शन, निवासी-दाल बाजार, ग्वालियर

.....चालक ट्रक नम्बर-MP 33H 0668

-----विपक्षीगण

याचीगण के अधिवक्ता- श्री अशोक कुमार अग्रवाल

विपक्षीगण संख्या एक, दो एवं चार के अधिवक्ता- श्री नन्दलाल पांचाल

विपक्षी संख्या तीन के अधिवक्ता- श्री एस.सी.गुप्ता

निर्णय

याचीगण की ओर से यह याचिका विपक्षीगण के विरुद्ध धारा-166 एवं 140 मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कथित मोटर वाहन दुर्घटना में याचीगण के पुत्र दनिश उर्फ फैसल मृत्यु के कारण 13,70,000/- रु. प्रतिकर एवं उस पर 12% वार्षिक की दर से ब्याज दिलाये जाने हेतु योजित की गयी है।

2. याचिका के अनुसार संक्षेप में कथानक यह है कि दिनांक 01.05.2015 को समय करीब 7.30 बजे मृतक दनिश उर्फ फैसल अपने मामा शकील के यहां दबोह गया था और अपने मामा के साथ दैनिक क्रिया के लिए अपनी माँ के साथ तबोह लहार रोड पर कच्ची पटरी पर चलते हुये जा रहा था और जैसे ही फूलसिंह राठौर की दुकान के सामने पहुंचा तो सामने आ रहे ट्रक संख्या-MP 33H 0668 का चालक ट्रक को तेजी व लापरवाही से चलाता हुआ आया और गलत साइड में आकर दनिश उर्फ फैसल को सामने से टक्कर मार दी, जिससे वह ट्रक के अगले पहिये पर आ गया और घटना स्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गयी। घटना की रिपोर्ट थाना दबोह में शकील द्वारा अंकित कराई गयी। घटना के समय मृतक की आयु 8 वर्ष थी और वह एक छात्र था। घटना में असमायिक मृत्यु हो जाने के कारण याचीगण अपने पुत्र के स्नेह प्यार से हमेशा के लिए वंचित हो गये और उनके बुढ़ापे का साहारा छिन गया है।

3. विपक्षीगण संख्या-एक व दो क्रमशः प्रश्नगत ट्रक संख्या- MP 33H 0668 के स्वामी व चालक की ओर से जवाबदावा 32B दाखिल कर याचिका में वर्णित अभिकथनों को अस्वीकार करते हुये मुख्यतः यह कथन किये गये हैं कि प्रश्नगत वाहन ट्रक से कथित दुर्घटना घटित नहीं हुई है तथा विपक्षी संख्या-एक के प्रश्नगत ट्रक के क्लीनर विपक्षी संख्या-दो दर्शन सिंह को ट्रक का चालक बताकर मामले में झूठा फंसाया गया है। कथित घटना के समय प्रश्नगत वाहन ट्रक का चालक रामकुमार था। कथित घटना के समय प्रश्नगत वाहन ट्रक के चालक रामकुमार के पास वाहन को चलाने का वैध लाइसेंस था तथा ट्रक के समस्त कागजात वैध एवं प्रभावी थे और प्रश्नगत वाहन कथित घटना के

समय विपक्षी संख्या-तीन बीमा कम्पनी से विधिवत बीमित था।

4. विपक्षी संख्या-तीन बीमा कम्पनी की ओर से जवाबदावा 27B दाखिल कर याचिका में वर्णित कथनों का खण्डन करते हुये मुख्यतः यह कहा गया है कि याचिका में वर्णित घटना प्रश्नगत वाहन ट्रक संख्या-MP 33H 0668 से घटित नहीं हुई है। कथित घटना के समय प्रश्नगत वाहन ट्रक के चालक के पास वाहन को चलाने का वैध लाइसेंस नहीं था न ही उक्त वाहन ट्रक कथित दुर्घटना के दिनांक को विपक्षी बीमा कम्पनी से विधिवत रूप से बीमित ही था। ऐसी परिस्थिति में विपक्षी बीमा कम्पनी का उत्तरदायित्व याचीगण को क्षतिपूर्ति धनराशि अदा करने का नहीं है।

5. विपक्षी संख्या-चार रामकुमार प्रश्नगत वाहन ट्रक के चालक की ओर से जबाबदावा 42B दाखिल कर याचिका में वर्णित कथित सड़क दुर्घटना के तथ्यों से इंकार करते हुये कथित घटना के दिनांक व समय पर स्वयं को प्रश्नगत वाहन ट्रक संख्या-MP 33H 0668 का चालक तथा विपक्षी संख्या-दो दर्शन सिंह को उक्त ट्रक का क्लीनर होना स्वीकार करते हुये कथन किया है कि याचिका में वर्णित कथित घटना की दिनांक व समय पर उसके पास वाहन को चलाने का वैध लाइसेंस था।

6. उभय पक्ष के अभिवचनों के आधार पर दिनांक 27.03.2018 को निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किये गये।

1- क्या दिनांक 01.05.2015 को समय करीब 7.30 बजे, वहद स्थान दबोह, जिला-भिण्ड के अर्न्तगत थाना-दबोह, जिला-भिण्ड में ट्रक संख्या-MP 33H 0668 के चालक ने उक्त ट्रक को तेजी व लापरवाही से चलाकर याचीगण के पुत्र दनिश उर्फ फैसल को सामने से टक्कर मार दी, जिससे दनिश उर्फ फैसल उम्र-8 वर्ष की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गयी ?

2- क्या दुर्घटना के दिनांक व समय पर ट्रक संख्या-MP 33H 0668 के चालक के पास उक्त ट्रक को चलाने का वैध एवं प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस था ?

3- क्या दुर्घटना के दिनांक व समय पर ट्रक संख्या-MP 33H 0668 विपक्षी संख्या-तीन नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड से बीमित था ?

4- क्या कथित दुर्घटना के समय दर्शन सिंह यादव विपक्षी संख्या-दो क्लीनर एवं रामकुमार पुत्र सुदर्शन, निवासी-दालबाजार, लश्कर, ग्वालियर म.प्र. ट्रक नम्बर-MP 33H 0668 का चालक था, यदि हां तो प्रभाव ?

7. क्या याचीगण कोई प्रतिकर धनराशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं, यदि हां तो किस विपक्षी से व कितनी ?

8. अपने कथनों के समर्थन में याचीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में PW-1 नसीम बेग स्वयं याची संख्या-एक, P.W-2 शकील उर्फ तूना को परीक्षित कराया गया है तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में सूची-7C/1 से प्रथम सूचना रिपोर्ट, सूची-19C/1 से प्रश्नगत वाहन ट्रक संख्या-MP 33H 0668 का पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रतियां, सूची-44C/1 से आरोप पत्र, प्रथम सूचना रिपोर्ट, मृत्यु की सूचना का पत्र, पंचनामा, सम्पत्ति जब्ती पत्रक, आत्मसमर्पण मेमो, ट्रक का यांत्रिक परीक्षण, शव विच्छेदन का आवेदन, शव विच्छेदन आख्या की सत्यापित प्रतियां, सूची 70C/1 से मृतक की माँ याची संख्या-दो सायरा के चिकित्सीय प्रपत्र आदि दाखिल किये गये हैं।

9. विपक्षीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में DW-1 पवन नगाइच, DW-2 रामकुमार एवं DW-3 दर्शन सिंह को परीक्षित किया गया तथा प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में विपक्षी संख्या-एक की ओर से सूची-34C/1 से प्रश्नगत वाहन ट्रक की बीमा पालिसी, पंजीयन प्रमाण पत्र, परमिट, फिटनिस प्रमाण पत्र तथा चालक रामकुमार के चालक अनुज्ञा पत्र की छाया प्रतियां तथा सूची-73C/1 से सम्भागीय परिवहन अधिकारी, ग्वालियर द्वारा निर्गत राष्ट्रीय अनुज्ञा पत्र व उसके प्रभावी होने की सूचना का

पत्र आदि दाखिल किये गये। इसके अतिरिक्त विपक्षी संख्या ती-बीमा कम्पनी की ओर से सूची-62C/1 से दाखिल की गयी।

10. मैंने उभय पक्ष की ओर से वर्चुअल कोर्ट में उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण की मौखिक बहस सुनी, लिखित बहस का अवलोकन किया तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया एवं उपलब्ध साक्ष्य का मूल्यांकन किया।

निष्कर्ष

11. निस्तारण विवाद्यक संख्या-1

याचीगण की ओर से प्रस्तुत साक्षी PW-2 शकील उर्फ तूना पुत्र वसीर बेग जो कथित घटना का चक्षुदर्शी बताया गया है और जो मृतक बच्चे का मामू है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथित घटना के तथ्यों का समर्थन करते हुये कथित घटना प्रश्रगत वाहन ट्रक के चालक द्वारा वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर उसके भान्जे दानिश उर्फ फैसल को टक्कर मार दिये जाने से दानिश की मृत्यु मौके पर ही होने का कथन किया है। किंतु इस साक्षी की प्रति परीक्षा में कुछ ऐसी बातें आयीं हैं जिससे घटनास्थल पर इस साक्षी की उपस्थिति पर संदेह उत्पन्न होता है जैसे यह साक्षी घटनास्थल की चौहद्दी नहीं बता पा रहा है और यह साक्षी कह रहा है कि घटना के दिन चांदनी रात थी और ट्रक की लाइट जल रही थी। 1 मई को 7:30 बजे शाम को चांदनी रात होने तथा ट्रक के लाइट जलने का कोई औचित्य नहीं बनता है। यदि यह बातें इस आधार पर नजरअंदाज भी कर दी जाए कि इस साक्षी ने दुर्घटना के लगभग 4 वर्ष बाद साक्ष्य दिया है और प्रति परीक्षा में किए गए प्रश्नों को यह साक्षी ठीक से समझ नहीं पाया होगा तो भी इस साक्षी व मृतक बच्चे की माँ की लापरवाही भी दुर्घटना का एक बड़ा कारण रही है क्योंकि इस साक्षी ने प्रति परीक्षा में यह कथन किया है कि उसने जब दानिश को देखा व पकड़ने को हुआ तब तक एकसीडेंट हो गया था। साक्षी के इस कथन से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि बच्चा स्वयं ही सड़क पर भागा है, जैसा कि बच्चों की इस प्रकार की प्रकृति ही होती है। पांच-आठ साल के बच्चे को ऐसी सड़क जिस पर वाहन चल रहे हैं बगैर हाथ पकड़ कर ले जाया जाना माँ व मामू द्वारा की गई गंभीर लापरवाही का द्योतक है। विधि व्यवस्था **अर्चित सैनी व अन्य बनाम दि ओरिएंटल इंश्योरेंस कम्पनी लिमि० व अन्य (09.02.18-SC): MANU/SC/0105/2018** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह माना गया है कि *मोटर दुर्घटना से सम्बन्धित मामलों में इतनी यात्रा की आवश्यकता नहीं है जितनी एक आपराधिक मुकदमे में। न्यायालय को इस अन्तर को ध्यान में रखना चाहिए। एक विशेष बस द्वारा एक विशेष ढंग से दुर्घटना कारित किये जाने को सख्त सबूत द्वारा साबित किया जाना दावेदारों के लिए सम्भव नहीं है। दावेदारों को केवल अधिसंभाव्यता की प्रबलता की कसौटी पर अपना मामला स्थापित करना था, उचित संदेह से परे प्रमाण का मानक नहीं हो सकता था।* प्रस्तुत प्रकरण में चूंकि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना की दिनांक 01.05.2015 को समय 2.00 बजे दिन ही साक्षी PW-2 शकील द्वारा थाना-दबोह में पंजीकृत कराई गयी है, जिसमें किसी प्रकार का कोई विलम्ब नहीं है। आरोप पत्र, पंचायतनामा व पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी दानिश की मृत्यु वाहन दुर्घटना/दुर्घटना में होने का समर्थन किया गया है, अतः मैं इस निष्कर्ष का हूँ कि वर्तमान मामले में याचीगण की ओर से प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से याचिका में वर्णित घटना के तथ्य इस प्रकार साबित हैं कि दिनांक 01.05.2015 को समय 7.30 बजे शाम ट्रक संख्या-MP 33H 0668 के चालक द्वारा अपने वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाने तथा याची सं. 2 व PW1 द्वारा 5-8 वर्ष आयु के बच्चे को अरक्षित छोड़ देने के कारण की गई बराबर बराबर संयुक्त लापरवाही के कारण हुई जिसमे दानिश की मृत्यु हो गई।

12. निस्तारण विवाद्यक संख्या-2

प्रस्तुत प्रकरण में याचीगण द्वारा दो चालकों दर्शन सिंह व रामकुमार को प्रतिपक्षी बनाया गया है जिसमें दर्शन सिंह के पास चालन अनुज्ञप्ति नहीं है जबकि आरोपपत्र दर्शन सिंह के विरुद्ध है और रामकुमार के पास चालन अनुज्ञप्ति है किंतु वह आरोपी नहीं है। तो अब प्रश्न यह उठता है कि वास्तविक चालक कौन था? यह साबित करने का भार कि चालक कौन था विपक्षी वाहन स्वामी पर है। चूँकि वाहन स्वामी ने अपने जवाब दावे में आरोपी के बजाए रामकुमार को चालक बताया है अतः इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि यह प्रकरण क्षतिपूर्ति का दायित्व बीमा कंपनी पर डालने के उद्देश्य से चालक बदल देने का हो सकता है। अतः वाहन स्वामी पर बीमा कंपनी की प्रति परीक्षा अत्यावश्यक हो जाती थी। प्रत्यक्षदर्शी शकील उर्फ तूना ने मुख्य परीक्षा में चालक कौन था, इस संबंध में कुछ भी नहीं कहा है। प्रति परीक्षा में इस साक्षी ने एक ओर यह स्वीकार किया है कि उसने रिपोर्ट दर्शन सिंह के विरुद्ध की थी। (यहां पर यह उल्लेखनीय है कि रिपोर्ट ट्रक संख्या के आधार पर बगैर चालक का नाम लिए की गई है) इस साक्षी ने आगे कथन किया है कि उसने ट्रक को पकड़ लिया था जबकि पुलिस के अनुसार ट्रक को दूसरे दिन मंडी से पकड़ा गया। जब तक ट्रक बाधित न हो गया हो, कोई आदमी भागते ट्रक को दौड़कर कैसे पकड़ सकता है? इस साक्षी ने आगे कथन किया है कि सुना सुनी के आधार पर ड्राइवर का नाम बताया था। उसने मौके से ड्राइवर नहीं पकड़ा था। दूसरी ओर वह ड्राइवर की उम्र 50 वर्ष से ज्यादा बताता है। जब इसने ड्राइवर को पकड़ा नहीं, देखा नहीं, पुलिस विवेचना में सुने सुनाए आधार पर दर्शन सिंह का नाम बताया, तो यह रामकुमार जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है से मेल खाती उम्र (50 वर्ष से ज्यादा) कैसे बता सकता है? स्पष्ट है कि मृतक का मामू होने के नाते यह साक्षी भी चाहता है कि क्षतिपूर्ति का दायित्व इंश्योरेंस कंपनी पर जाए जिससे क्षतिपूर्ति के भुगतान में शीघ्रता हो। मेरे विचार से चालक कौन था, इस बिंदु पर इस साक्षी का साक्ष्य भरोसे लायक नहीं है। दोनों चालकों ने भी स्वयं को परिक्षित कराया है तथा दोनों चालकों ने दुर्घटना से इनकार कर दिया है। दर्शन सिंह का कहना है कि वह ट्रक पर क्लीनर था व दुर्घटना के दिन रामकुमार ट्रक चला रहा था जबकि राम कुमार का कहना है कि दुर्घटना के समय वह अपने घर पर था। दर्शन सिंह का मुख्य परीक्षा में कहना है कि उसे पुलिस द्वारा झूठा फंसाया गया जबकि प्रतिपरीक्षा में दर्शन सिंह का कहना है कि उसने झूठा फंसाया जाने के संबंध में किसी अधिकारी को शिकायत नहीं की। दर्शन सिंह ने वादी शकील द्वारा या पुलिस द्वारा झूठा फंसाया जाने का कोई कारण भी अपने साक्ष्य में नहीं बताया है। दर्शन सिंह का कहना है कि वह ड्राइवर राम कुमार को उसी (घटना वाले) दिन से जानता है। इस साक्षी की इस बात से भी ड्राइवर बदले जाने का संदेह प्रबल होता है क्योंकि वाहन स्वामी ने अपने जवाब दावे में ऐसा कुछ भी नहीं बताया है कि उसने घटना वाले दिन ही रामकुमार को ट्रक चालक के रूप में नियुक्त किया था। पुलिस प्रपत्र भी अलग-अलग बात कहते हैं। आरोपपत्र में चालक के रूप में आरोपी दर्शन सिंह को बनाया गया है जबकि जब्ती पत्रक प्रपत्र संख्या 49C1 में दर्शन सिंह का व्यवसाय क्लीनर दर्शाया गया है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह स्पष्ट नहीं होता कि दुर्घटना के समय ट्रक को दर्शन सिंह चला रहे थे या रामकुमार चला रहे थे। वाहन स्वामी ने अपने जवाब दावे में चालक के रूप में राम कुमार का नाम बताया है किंतु चालक के बिंदु पर इतना अधिक विवाद होने के बावजूद भी जवाब दावे के समर्थन में उन्होंने अपना शपथ पर मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। अतः विपक्षी संख्या 1 वाहन स्वामी यह साबित करने में सफल नहीं रहा है कि वास्तव में दुर्घटना के समय रामकुमार ट्रक को चला रहे थे। क्योंकि साक्ष्य से यह स्थापित नहीं हो पाया है कि दुर्घटना के समय ट्रक को कौन चला रहा था अतः इस बात का कोई औचित्य नहीं रह जाता है कि चालक के पास चालन अनुज्ञप्ति थी या

नहीं।

तदनुसार यह वाद बिन्दु निर्णीत किया जाता है।

13. निस्तारण विवादक संख्या-3

इस वाद बिन्दु के सम्बन्ध में पत्रावली पर वाहन स्वामी विपक्षी सं. 1 की ओर से प्रपत्र सं. 35C1 बीमा पॉलिसी की छाया प्रति प्रस्तुत की गयी है, जिनके अनुसार , चेसिस सं./इंजन सं. 756022/911529 का बीमा दिनांक 22.11.2014 से 21.11.2015 तक प्रभावी है। प्रपत्र सं. 35C1 आर.सी. के अनुसार उक्त चेसिस सं. इंजन सं. वाहन नं. MP 33H 0668 के रूप में विपक्षी सं. 1 के नाम पंजीकृत है। इस पॉलिसी का खंडन बीमा कम्पनी द्वारा नहीं किया गया है। घटना दिनांक 01.05.2015 की है। इस प्रकार वाद बिन्दु सं. 3 सकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

14. निस्तारण विवादक संख्या-4

चूंकि दुर्घटना ट्रक नं. MP 33H 0668 के चालक व यात्री सं. 2 की संयुक्त की लापरवाही के कारण हुयी है और दुर्घटना के समय ट्रक का चालक कौन था यह तथ्य वाहन स्वामी द्वारा साबित नहीं किया जा सका है अतः वाहन स्वामी क्षतिपूर्ति के आधे हिस्से का ही देनदार है। यह बात तार्किक नहीं होगी कि वाहन स्वामी क्षतिपूर्ति के उस भाग को भी भुगतने जिसके लिए उसके ट्रक के चालक का कोई दोष नहीं है।

13. क्षतिपूर्ति की गणना-

मोटर वाहन दुर्घटना में हुई बच्चों के मृत्यु के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने विधि व्यवस्था R.K. Malik and another Vs. Kiran Pal and others:MANU/SC/0809/2009 निम्न सिद्धांत प्रतिपादित किया है-

"28. लता वाधवा मामले (उक्त) में, जिसमें दुर्घटना 3 मार्च 1989 को हुई थी, को गुणक विधि को मंजूरी के साथ अपनाया गया था। 5 से 10 वर्ष की आयु के बच्चों के मामलों में, रुपये 1.50 लाख का मुआवजा "आर्थिक क्षतिपूर्ति" और रुपये 50,000 / - का मुआवजा "पारंपरिक मुआवजे" के लिए प्रदान किया गया था। 10 से 18 वर्ष के बच्चों के मामले में रु. 4.10 लाख का मुआवजा "पारंपरिक मुआवजे" सहित प्रदान किए गए। ऐसा करते समय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि परिवार के प्रति प्रत्येक बच्चे का योगदान 12,000 / - रुपये के बजाय 24,000 / - रु. प्रति वर्ष के रूप में लिया जाना चाहिए जैसा कि न्यायमूर्ति वाई.वी. चंद्रचूड़ समिति ने शिफारिश की। यह इस तथ्य के मद्देनजर था कि कंपनी में एक अलिखित नियम था कि उक्त कंपनी में कार्यरत प्रत्येक कर्मचारी अपने एक बच्चे का नियोजन प्राप्त कर सकता है। "

विधि व्यवस्था Puttamma and others Vs. K.L. Narayana Reddy and another :MANU/SC/1321/2013 के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्न सिद्धांत प्रतिपादित किया है-

"जब तक केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम, 1988 की धारा 163A की उप-धारा (3) के तहत निहित शक्ति के प्रयोग या संसद द्वारा किए गए संशोधनों तक ऐसा संशोधन नहीं किया जाता है, हम यह मानते हैं कि 5 वर्ष की आयु तक के बच्चे रु. 1,00,000 / - (रुपये एक लाख) और 5 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति रुपये 1,50,000 / - (एक लाख और पचास हजार रुपये) के निश्चित मुआवजे या ऐसी राशि जो दूसरी अनुसूची के संदर्भ में निर्धारित की जा सकती है, मे जो भी अधिक हो के हकदार होंगे। ऐसी राशि का भुगतान किया जाना है, यदि अधिनियम, 1988 की धारा 163A के तहत कोई आवेदन दायर किया गया हो।"

14. याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बच्चों की मृत्यु के संबंध में क्षतिपूर्ति की गणना की प्रणाली के पुराने हो जाने तथा बढ़ी हुई महंगाई के आलोक में मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 की धारा 164 के अंतर्गत कम से कम ₹5,00,000 क्षतिपूर्ति दिलाए जाने का तर्क रखा है।

15. मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 की धारा 164 के अंतर्गत नो फॉल्ट लायबिलिटी पर क्षतिपूर्ति के लिए कम से कम (मिनिमम कैप) ₹5,00,000 रखा है जिसमें मृतक की आयु का कोई आधार नहीं लिया गया है। लता वाधवा, आर.के. मलिक तथा पुटम्मा के मामलों के बाद काफी समय व्यतीत हो चुका है और तब 2019 का संशोधन अधिनियम आया है। अतः मेरे विचार से 10 वर्ष तक के बच्चों के लिए कम से कम ₹5,00,000 की क्षतिपूर्ति निर्धारित किया जाना न्यायोचित होगा। चूँकि दुर्घटना में याची की भी बराबर की लापरवाही साबित हुई है अतः वाहन स्वामी का दायित्व ढाई लाख रुपए मय 7:30 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज का बनता है।

आदेश

याची की याचिका विपक्षी सं. 1 के विरुद्ध क्षतिपूर्ति धनराशि ₹2,50,000/- (ढाई लाख) मय 7.5% साधारण वार्षिक ब्याज, याचिका प्रस्तुत करने की तिथि से वसूली की तिथि तक, हेतु आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। विपक्षी विपक्षी सं. 1 राजेश कुमार गुप्ता को आदेशित किया जाता है कि वह याचीगण को निर्णय के दिनांक से 60 दिन के अंदर क्षतिपूर्तिकर्ता के रूप में क्षतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी के सिंडीकेट बैंक के खाता संख्या 92352010008560 IFSC- SYNB0009235 में RTGS/NEFT के माध्यम से कर दे।

याचीगण बराबर भाग प्राप्त करेंगे तथा उनको प्राप्त होने वाली धनराशि का 75 प्रतिशत भाग सर्वोच्च ब्याज दर देने वाली सावधि जमा में 5 वर्ष के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में निवेशित की जायेगी जिसका प्रतिवर्ष ब्याज याचीगण इलेक्ट्रॉनिक मोड़ से अपने बैंक खाते में प्राप्त करते रहेंगे। याचीगण की उक्त निवेशित धनराशि याची की इच्छा पर 5 वर्ष के पश्चात पुनर्निवेशित की जा सकेगी।

तदनुसार एवार्ड तैयार हो।

दिनांक 31.07.2020

(चंद्रोदय कुमार)

मोटर दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण

झाँसी

यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवम् दिनांकित कर खुले वर्चुअल न्यायालय में उदघोषित किया गया।

दिनांक 31.07.2020

(चंद्रोदय कुमार)

मोटर दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण

झाँसी